।। ओ३म् ।।

गुरुकुल हरिपुर, जुनानी, गोड़फूला

जि.नुआपड़ा (ओड़िशा)

छात्र प्रवेश नियमावली

2026-2027

/GurukulHaripur

fb.me/gurukulharipur.nuapada

7735335895

Email- gurukulharipur2019@gmail.com, Website- www.gurukulharipur.org

गुरुकुल की आवश्यकता

जिस शिक्षा की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन व समाज में व्यवहार के लिए है, वह शिक्षा गुरुकुलों से मिलती है, गुरुकुल ही भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था है। गुरुकुल का अर्थ-गुरु का परिवार। गुरुकुल को आचार्यकुल और ऋषिकुल भी कहते हैं। जीवन निर्माण हेतु, मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य पाने हेतु, योग, आयुर्वेद, धर्म, संस्कृति, जीवन-विज्ञान, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, आदि ग्रन्थों के अध्ययनार्थ तो गुरुकुल से अच्छा स्थान कहीं सुलभ नहीं होगा।

गुरुकुल की आदर्श दिनचर्या

विद्वान् आचार्यों की देखरेख में 24 घण्टे विद्यार्थी अनुशासन में रहते हैं। सबके लिए समान भोजन, समान आवास व्यवस्था एवं अनेक प्रकार के समान शिक्षा व्यवस्था का सुन्दर प्रबन्धन आपको गुरुकुल में देखने को मिलेगा।

दिनचर्या में आत्मिक विकास के लिये 2 घण्टा मन्त्रपाठ सहित सन्ध्या-यज्ञ, ध्यान। शारीरिक विकास के लिए एवं भारतीय कृषि, शिल्प आदि परम्पराओं से अवगत हों, इसके लिये 2 घण्टे से अधिक शारीरिक श्रम। लगभग दो घण्टा व्यायाम, आसन, दण्ड बैठक,यौगिक जोगिंग, प्राणायाम आदि का प्रशिक्षण। कक्षा पाठ्यक्रम अध्ययन-अध्यापन हेतु 10 से 12 घण्टे की व्यवस्था।

- प्रातः जागरण /प्रार्थना - 4:00 बजे
- शौच, दन्तधावन - 4:00- 4:45
- व्यायाम, आसन, प्राणायाम - 4:45-5:20
- स्नान - 5:20- 5:40
- व्यक्तिगत अध्ययन - 5:40-6:30
- ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ व स्वाध्याय (सीधा प्रसारण) - 6:30-8:00
- जलपान /प्रातराश/बर्तन साफ - 8:00-8:30 (खीर,मुरमुरा-दूध,खीचड़ी,रोटी-दूध, चुड़ा=पोहा,उपमा, रोटी-दूध या इडली)
- अध्ययन – अध्यापन - 8:30-12:30
- मध्याह्न भोजन/ बर्तन साफ - 12:30-1:10 (भात, दाल, सब्जी या भात-दालमा, अवलेह। विभिन्न अवसरों पर विशेष भोजन, नियमित भोजनोपरान्त तक्र की व्यवस्था)
- अध्ययन- अध्यापन - 1:10-4:00
- सायंकालीन सन्ध्या-यज्ञ- (सीधा प्रसारण) - 4:00-4:35
- स्वल्पाहार (इसमें बिस्किट, दूध, छतुआ आदि)- 4:35-4:50
- सेवाकार्य (बगीचा, आश्रम सफाई, गौसेवा व अन्यान्य)- 4:50-6:00
- व्यायाम - 6:00-6:30
- स्नान - 6:30-6:45

(अपराह्न विद्यालय के समय बीच-बीच में 4 बजे के अन्दर वर्गानुसार शौच जाने की व्यवस्था है।)

- रात्रि भोजन/बर्तन साफ - 6:45-7:25 (रोटी या भात, दालमा या दाल, सब्जी)
- भ्रमण - 7:25-7:35
- व्यक्तिगत अध्ययन - 7:35-8:00
- शयनकालीन प्रार्थना एवं शयन - 8:00-4:00

(आवश्यक सूचना- प्रातः 4 बजे से 8 बजे व सायंकाल 6 से 8 बजे तक मौन पालन करना अनिवार्य है। ऋतु व विशेष कारणों से दिनचर्या के समय में परिवर्तन किया जाता है। दिन में एक बार दूध व एक बार तक्र उपलब्ध कराया जाता है।)

अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र प्रवेश नियमावली

1. गुरुकुल में छठवीं एवं सातवीं कक्षा में प्रवेश लिया जाता है। (विशेष योग्यता व संस्कारवान् विद्यार्थियों को बड़ी कक्षाओं में भी बहुत परीक्षा के अनन्तर लिया जा सकता है।) प्रवेश काल में विद्यार्थी का न्यूनतम आयु 11-12 वर्ष होनी चाहिए, प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। प्रवेश परीक्षा विद्यार्थी के उत्तीर्ण कक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर ली जाएगी जिसमें हिन्दी, ओड़िआ, अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य ज्ञान का विशेष परीक्षण किया जाएगा। परीक्षा में योग्य अंक लाकर उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश सम्भव है, अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिलाने हेतु विशिष्ट महानुभावों के द्वारा सिफारिश कराना वर्जनीय है।

कक्षा-छठवीं — प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम

ENGLISH

1. English Read and Write
   - Basic knowledge on english capital and small letters.
   - Vowel and consonants.
   - Vegetable name, Fruits name, Body parts Name, Animal names, Number Name, Month name, week name, season name.
2. English Grammar
   - Noun
   - Pronoun
   - Verb
3. Articles (A, An, The)
4. Common Prepositions (To, from, On, In, For, of, Beside, Above, with out)
5. Translation
   - English to Odia
   - Odia to English

गणित

1-100 तक संख्या ।

2-तीन अंक विशिष्ट संख्याओं का जोड़ना घटाना ।

3-तीन अंक विशिष्ट संख्याओं का गुणा भाग ।

1-100 तक संख्याओं को अंक और शब्द में लिखना।

1-15 तक पहाड़ा।

हिन्दी

1.वर्णमाला बोध । 2.मात्रा परिचय ।
3.बारहखड़ी । 4.संयुक्त वर्णज्ञान ।
5.पठन-लेखन ।

ओड़िआ

1.संयुक्ताक्षर ज्ञान । 2.आवेदन पत्र लेखन ।
3.ओड़िआ पठन-लेखन । 4.बारहखड़ी ।
5.अनुच्छेद पढ़कर उत्तर लेखन । 6.सामान्य ज्ञान

कक्षा-सातवीं

गणित

1. 1-1000 तक संख्या ।
2. चार अंक विशिष्ट संख्याओं का जोड़ना घटाना ।
3. चार अंक विशिष्ट संख्याओं का गुणा भाग ।
4. 1-1000 तक संख्याओं को अंक और शब्द में लिखना।
5. भिन्न संख्या को दशमलव में बदलो ।
6. 1-25 तक पहाड़ा।
7. लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक निकालो ।

ओड़िआ

1.संयुक्ताक्षर परिज्ञान ।
2.अनुच्छेद पढ़कर उत्तर लेखन ।
3.रचना एवं आवेदन पत्र लेखन । 4.ओड़िआ पठन व सुलेख।
5. संज्ञा /सर्वनाम ।

हिन्दी

1.स्वर-व्यञ्जन ज्ञान 2.संज्ञा/सर्वनाम
3.अनुच्छेद पढ़ कर उत्तर लेखन ।
4.निबन्ध एवं आवेदन लेखन । 5.हिन्दी वाचन व सुलेख।

अभिभावक के हस्ताक्षर

ENGLISH

1. English Read and Write
   - Basic knowledge on english capital and small letters.
   - Vowel and consonants.
   - Vegetable name, Fruits name, Body parts Name, Animal names, Number Name, Month name, week name, season name.
2. English Grammar
   - Noun
   - Pronoun
   - Verb
3. Articles (A, An, The)
4. Common Prepositions (To, from, On, In, For, of, Beside, Above, with out)
5. Translation
   - English to Odia
   - Odia to English

सामान्य ज्ञान

शुल्क विवरण

1. यहां की शिक्षा एवं आवास व्यवस्था निःशुल्क है। किन्तु प्रवेश शुल्क 3000/-(तीन हजार), दो जोड़ी विद्यालयीय पोषाक, दो लंगोट एवं विद्यालय अवकाश के उपरान्त धारण करने योग्य दो जोड़ी पोषाक हेतु 3000/-(तीन हजार) तथा भोजन शुल्क वार्षिक 18,000/-(अट्ठारह हजार) रूपये निर्धारित है । इस प्रकार कुल 24,000/-अभिभावक को एक किश्त में प्रवेश काल में ही जमा करना होगा। संस्था के निर्णय अनुसार प्रत्येक शिक्षा वर्ष में महंगाई आदि को ध्यान में रखते हुए भोजन शुल्क में परिवर्तन सम्भव है, अतः तदनुसार अभिभावकों को शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में भोजन शुल्क देना होगा । समय-समय पर पुस्तक एवं अन्यान्य साबुन तेलादि के लिये अलग से शुल्क अभिभावक को देना होगा।

2. जो छात्र अपने जन्मदिवस के अवसर पर अन्तेवासियों के लिए खीर, पकौड़ी आदि कुछ विशेष बनवाना चाहते हैं, तो उस छात्र के अभिभावक को अतिरिक्त 2500/- गुरुकुल में जमा करना होगा।

3. नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, शास्त्री (बी.ए) प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष का बोर्ड या विश्वविद्यालय प्रवेश शुल्क, पुस्तक एवं परीक्षा आवेदन (फार्म भराई) आदि का जो शुल्क होगा उसको अभिभावक को देना होगा, यथा समय अभिभावकों को इसकी सूचना दे दी जाएगी।

4. छात्र का प्रवेश शुल्क आदि की प्राप्ति रसीद कट जाती है, पुनः किसी कारण वश छात्र गुरुकुल में अध्ययन करना नहीं चाहता है, ऐसी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। क्योंकि उस छात्र हेतु सम्पूर्ण पठन-पाठन, भोजन, आवास खाट आदि की व्यवस्था हेतु संस्था प्रबन्ध कर ली होती है तथा उस छात्र के वजह से अन्य छात्र को प्रवेश से वंचित कर दिये रहते हैं, प्रवेश उपरान्त एक या दो दिन या एक सप्ताह अथवा एक-दो-तीन महीने में भी छात्र नहीं रह पाने की स्थिति में शुल्क लौटाने हेतु निवेदन न करें। इस बात का विशेष ध्यान रख कर पूरे परिवारवर्ग सोच-विचार कर छात्र को प्रवेश करायें।

अभिभावक के हस्ताक्षर

दण्ड विधान

सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विषोक्षितैः ।

लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ।। (महर्षि पतञ्जलि महाभाष्यम्)

जो माता,पिता और आचार्य सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो सन्तानों वा शिष्यों का लाड़न करते हैं, वे अपने सन्तानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैं । क्योंकि लाड़न से सन्तान और शिष्य दोष युक्त तथा ताड़न से गुण युक्त होते हैं। अर्थात् हृदय में पवित्र भाव रखते हुए सुधार व निर्माण की दृष्टि से गुरुकुल में दण्ड भी दिया जाता है।

शिक्षा

प्रथमा- छठवीं से आठवीं कक्षा के समकक्ष है तथा इसकी सम्बद्धता ओड़िशा सरकार के विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग से है ।

पूर्व मध्यमा-9 वीं 10 वीं के समकक्ष है ।

प्राक् शास्त्री-11 वीं 12 वीं के समकक्ष है ।

नवमीं से बारहवीं तक की सम्बद्धता केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली से है, जिसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं प्रान्तीय मातृभाषा विषय भी पढ़ाया जाता है।

विशेष ध्यान देने योग्य विषय- बहुभाषाविद् बनाने के पावन उद्देश्य से हिन्दी प्रदेशों से प्रवेश होने वाले छात्रों के लिये पाठ्य पुस्तक के साथ-साथ ओड़िया भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। गुरुकुल में सभी प्रान्तों के छात्र पढ़ते हैं। अत: उसको ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षायें सञ्चालित करता है, जिसकी मान्यता सर्वभारतीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है उस बोर्ड के अधीन 9 वीं से 12 वीं की परीक्षायें होती हैं। और इसी प्रकार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से भी 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा दिलवाई जाती है। इसकी भी मान्यता सर्वभारतीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से दसवीं व बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थी बाहर जाकर कला संकाय (आर्ट्स) व संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। तथा संस्कृत विश्वविद्यालयों में यहां से बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थी (योग व कम्प्यूटर) में बी.एस.सी व एम.एस.सी. कर सकता है।

शास्त्री- यह बी.ए. के समकक्ष है। जिसकी परीक्षाएं वर्तमान में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से संचालित होती हैं। आगामी वर्ष से शास्त्री, आचार्य एवं डीप्लोमा पाठ्यक्रम भी केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी नई दिल्ली से प्रारम्भ होने की सम्भावना है, जिसमें शास्त्री पढ़ने वाला विद्यार्थी शास्त्री के साथ-साथ योग आदि में डीप्लोमा भी कर सकता है।

इस समय गुरुकुल में निम्नलिखित विषय पाठ्यक्रमों में पढ़ाए व सीखाये जाते हैं - संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, वेद, दर्शन, उपनिषदों के साथ साथ हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संगीत, कम्प्यूटर, कृषि विद्या (गो सेवा), पाक विद्या, सिलाई आदि विविध विद्याओं की पढ़ाई की व्यवस्था है। ध्यान रहे यहां से बी.ए., एम.ए. अध्ययनोपरान्त विद्यार्थी सरकारी नौकरी (शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, सैनिक, सेना में पुरोहित, व्यायाम शिक्षक, कृषि विशेषज्ञ, वक्ता, लेखक, राजनेता, पौरोहित्य कार्य में निपुण) में आराम से जा सकते हैं।

विचारणीय- बाहर की शिक्षा केवल नौकरी की गारंटी देती है (आज कल जनसंख्या अत्यधिक होने से, कॉलेज बहुत होने से, पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत होने से कोई भी नौकरी की गारंटी नहीं दे सकता) किन्तु गुरुकुल की शिक्षा नौकरी की गारंटी देने के साथ-साथ एक सच्चा मनुष्य बनाने की गारंटी देती है। कॉलेज में पढ़ा हुआ साक्षर तो होता है, नौकरी के योग्य हो जाता है, किन्तु उसका आचरण आदि के विषय में न लिखना ही ठीक है।

अभिभावक के हस्ताक्षर

किन्तु गुरुकुल में पढ़ने वालों का सेवा भाव, राष्ट्र व धर्म के लिए समर्पित जीवन, शुद्ध आचरण, स्वस्थ निरोगी जीवन देखने ही लायक होता है।

अध्ययन अतिरिक्त कौशल विकास गतिविधियाँ-

1. छात्रों के बौद्धिक स्तर को उच्च बनाने के लिये विभिन्न सैद्धान्तिक परीक्षायें दिलाई जाती हैं। साथ में बुद्धिमान् छात्रों को प्राचीन शास्त्र- वेद, दर्शन, उपनिषद्, गीता, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, निघण्टु आदि विविध शास्त्र स्मरण कराए जाते हैं, जिससे वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान् बनें ।

2. शारीरिक उन्नति एवं क्रीडा हेतु विविध प्रकार के आसनों, व्यायामों एवं खेलों की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है।

3.छात्रों के अन्दर विषय प्रस्तुति एवं भाषण कौशल के विकास हेतु एवं विचाराभिव्यक्ति को सहज, स्पष्ट एवं प्रवाहमय बनाने के उद्देश्य से साप्ताहिक वाग्वर्धिनी सभा का आयोजन।

4. विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा छात्रों के अन्दर देश, धर्म, समाज, संस्कार-संस्कृत-संस्कृति के प्रति रूचि जगाना ।

5. वेदपाठ, गीतापाठ, सस्वर मन्त्रपाठ, सन्ध्या-यज्ञ प्रशिक्षण के माध्यम से छात्रों में वैदिक एवं प्राचीन संस्कृति के प्रति जागरुक करना।

6. यज्ञ, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का विशेष प्रशिक्षण।

अभिभावकों के लिये नियम

1.छात्र प्रवेश नियमावली को पूर्णतया पढ़कर हस्ताक्षर करके मूल प्रति को कार्यालय में जमा करना होगा और छायाप्रति अपने पास रखना होगा।

2.गुरुकुल जहाँ स्थित है वहां आस-पास के जंगलों में हिंस्त्र पशु भालुओं का आतंक रहता है यद्यपि गुरुकुल परिसर चारदीवारी से घिरा हुआ है, फिर भी कोई छात्र अनुशासन भंग करके व्यवस्थापक के अनुमति बिना चारदीवारी कूदकर बाहर चला जाता है, हिंस्त्र जन्तुओं से आक्रान्त हो जाता है, इसका जिम्मेदार गुरुकुल नहीं होगा।

3. वे अभिभावक गुरुकुल में अपनी सन्तानों को छोड़ना चाहते हैं, जो स्वयं धार्मिक हों तथा अपनी सन्तानों को धार्मिक, सज्जन, विद्वान्, आज्ञाकारी, देशभक्त, चरित्रवान्, अध्ययन पटु व सर्वगुण सम्पन्न बनाने के इच्छुक हैं । और इसके साथ यह एक कटु सत्य भी है, जो सन्तान बुद्धिमान् तो हैं किन्तु चंचल हैं, बात नहीं मानते, अधिक टी.वी., मोबाईल देखते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, आज्ञाकारी नहीं हैं, गांव में असंस्कारित बच्चों के साथ घूमते हैं, अधिक समय खाने-पीने में रहते हैं, गुस्सा करते हैं, उत्तर देते हैं आदि विपरीत आचरणों के कारण अभिभावक गुरुकुलों में अपने बच्चों को छोड़ना चाहते हैं।

4. आज के युग में भी आर्यसमाज द्वारा संचालित वैदिक गुरुकुल का वैशिष्ट्य है कि वे बाहर से आये हुए निम्न से निम्न स्तर एवं उच्च से उच्च स्तर के विद्यार्थियों को उत्तम बनाने के लिए यत्परोनास्ति उद्यम करते हैं, सामर्थ्य रखते हैं एवं विद्यार्थी निर्माण के लिए गुरुकुल के सम्माननीय आचार्य गण कठोर परिश्रम भी करते हैं, माता पिता से भी अधिक ध्यान बच्चों के लिए रखते हैं । अत: जो अभिभावक अपनी सन्तानों को यदि कम से कम गुरुकुल में बारहवीं से लेकर शास्त्री तक पढ़ाना नहीं चाहते वे अपनी सन्तानों को गुरुकुल में प्रवेश न दिलायें, क्योंकि विद्यार्थी गुरुकुल में प्रवेश लेते ही उसकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक उन्नति के लिए सम्माननीय आचार्यों द्वारा प्रयत्न आरम्भ हो जाता है, विद्यार्थी अपने घर में जैसा था, गुरुकुल में आते ही कुछ महीनों में उस विद्यार्थी में परिवर्तन देख कर अभिभावक सोचते हैं कि मेरे पुत्र में परिवर्तन अथवा सुधार हो गया ऐसा विचार

अभिभावक के हस्ताक्षर

कर बीच में ही गुरुकुल से ले जाना चाहते हैं । ये गुरुकुल व उस विद्यार्थी के साथ उचित व्यवहार नहीं है । गुरुकुल में शिक्षा, आवास, ट्यूशन, विविध प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं । अतः जो अभिभावक बीच में अपनी सन्तानों को ले जायेंगे तो उन्हें गुरुकुल को 20,000/-(बीस हजार) का आर्थिक सहयोग देकर लेना होगा। उस समय अभिभावक के द्वारा पैसा नहीं देने के लिए मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे पता नहीं था अथवा किसी विशिष्ट या प्रभावशाली व्यक्तियों से सिफारिश कराना मान्य नहीं होगा। प्रवेश काल में जैसे माता-पिता और विद्यालय प्रशासन से वार्तालाप करके प्रवेश प्रक्रिया होती है वैसे ही अन्तिम समय में भी रहना होगा। मध्यस्थता हेतु किसी तृतीय व्यक्ति को मान्य नहीं होगा। अतः पूर्वापर सोच विचार कर अपने पुत्र को प्रवेश दिलायें। (यदि शास्त्री तक कोई विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ लेता है तो वह बाहरी दुनिया में हर परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम होकर प्रत्येक क्षेत्र में स्वावलम्बी हो जाता है। इसलिए हम जोर देकर लिखते हैं शास्त्री तक की पढ़ाई करनी चाहिए)

5. यदि कोई अभिभावक गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं और उनकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है तो उन्हें बारहवीं तक तो जो निर्धारित भोजन शुल्क है, वह देना होगा एवं शास्त्री (बी.ए.) कक्षा में उन शुल्क देने में असमर्थ विद्यार्थियों से भोजन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, इस शर्त के साथ कि वह शास्त्री कक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त इसी गुरुकुल से छात्रवृत्ति प्राप्तकर गुरुकुल में रहकर एम.ए., या नेट जे आर एफ की पढ़ाई के साथ-साथ दो वर्ष गुरुकुल की व्यवस्था में सहयोग दे। इस नियम की अवमानना किसी भी परिस्थिति में नहीं करनी चाहिए ।

6. जो अभिभावक बिल्कुल असहाय हैं किन्तु वे गुरुकुल में अपनी सन्तानों को पढ़ाना चाहते हैं, उस स्थिति में उन अभिभावकों से तीन वर्ष तक तो भोजन शुल्क लिया जाएगा, तदुपरान्त छात्र का व्यवहार आदि देख कर गुरुकुल अपनी व्यवस्था से उस छात्र को पढ़ाएगा । यहां भी नियम उलंघन होने पर उसको तब तक का सब शुल्क ब्याज सहित देना होगा, इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

7.वर्ष में दो बार " छात्र अभिभावक संवाद सम्मेलन " श्रावणी (रक्षाबन्धन) पर्व पर एवं गुरुकुलीय वार्षिकोत्सव के समापन दिवस पर होगा । अतः सभी अभिभावकों को इन बैठक कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ेगा।

8.वर्ष में दो बार त्रिदिवसीय व्यक्तित्व निर्माण शिविर का आयोजन होगा, जिसमें प्रत्येक छात्र के माता-पिता को अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। वैसे ही वर्ष में दो बार ज्ञान-विज्ञान व आत्मनिर्माण शिविर का आयोजन होगा, जिसमें आपको अपने बन्धु-बान्धवों व परिचितों को शिविर में भाग लेने हेतु प्रेरित करना होगा।

9. प्रत्येक माह के अन्तिम में सभी विषयों के मासिक परीक्षा परिणाम अभिभावकों के व्हाट्सआप पर प्रेषित किया जायेगा, उसे ध्यान से देखना होगा।

10. शैक्षणिक भ्रमण व यज्ञादि कार्यक्रमों के लिए गुरुकुल से छात्र बीच-बीच में अन्यत्र जाते हैं, इसी प्रकार खेलकूद, रस्सी, मल्लखम्भ आदि विविध व्यायामों का अभ्यास करते रहते हैं, इसी प्रकार बगीचा, गौ सेवा आदि विभिन्न सेवा कार्य में सहयोग करते हैं, इसी बीच कोई आकस्मिक अनहोनी घटना होती है व तत्काल शारीरिक समस्या हो जाती है तो इसके लिए गुरुकुल जिम्मेदार नहीं होगा।

11. प्रत्येक नूतन शिक्षावर्ष के आरम्भ में अभिभावक शपथ पत्र स्टाम्प पेपर में एफीडेवीट करके एवं नूतन प्रवेश नियमावली में हस्ताक्षर करके जमा करना अनिवार्य होगा।

12. गुरुकुल में जो छात्र प्रवेश लेंगे उनके समुचित विकास एवं देखभाल के लिये अध्यापक 24 घण्टे नियुक्त होंगे, पुनरपि किसी कारणवश अधिकारियों से बिना पूछे छात्र गुरुकुल से अन्यत्र चला जाता है और वह घर नहीं पहुँचता है, रास्ते में दुर्घटना बगैरह होती है, उसमें गुरुकुल कदापि जिम्मेदार नहीं होगा ।

13. छात्र गुरुकुल त्यागने के एक सप्ताह के अन्दर अपना सामान ले जायें उसके उपरान्त यदि सामान खो जाता है इसके लिए विद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा ।

अभिभावक के हस्ताक्षर

14.अभिभावकों के पते एवं दूरभाष अंक बदलने पर लिखित रूप से कार्यालय को अवश्य सूचना दें।

15. 15 जून प्रवेश उत्सव के दिन 2-3 बजे अभिभावक आचार्य संवाद सम्मेलन होगा, जिसमें माता-पिता को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।

16. छात्र यदि पढ़ाई के बीच गुरुकुल छोड़ कर जाता है, तो सभी शुल्क जमा होने के उपरान्त ही उसे स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं अंकसूची दी जायेगी ।

17. छात्र किसी गम्भीर बीमार या आकस्मिक दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है तो तत्काल प्रारंभिक चिकित्सा प्रबन्धन किया जायेगा, ऐसे आपातकाल में अभिभावक को सूचित कर दिया जायेगा, चिकित्सा में हुए खर्च अभिभावक को देना होगा ।

18. वेशभूषा एवं भाषा की समानता की दृष्टि से यहां श्वेत वस्त्र एवं संस्कृत- हिन्दी तथा आवश्यकता के अनुसार ओड़िया व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है।

विशेषः- ईश्वर को साक्षी मानकर लिख रहे हैं इस गुरुकुल शिक्षण संस्था का उद्देश्य धन उपार्जन नहीं, अपितु केवल शुद्ध मानव निर्माण करना है। अतः मानव निर्माण के लिए समर्पित यह संस्था है।

गुरुकुल से बहिष्कृत करने की स्थितियाँ

1. छात्र के चहुँमुखी विकास के लिये छात्र को गुरुकुल से शास्त्री से पूर्व लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, गुरुकुल प्रशासन हर सम्भव प्रयास करेगा कि छात्र योग्य बनें, अध्यापकों के द्वारा पुनः-पुनः समझाने पर भी यदि कोई छात्र नहीं समझता है, तो उस छात्र को अयोग्य घोषित कर अभिभावक को सूचित करके छात्र को घर वापस भेज दिया जायेगा।

2.छात्रों को रुपया, मोबाईल, अनावश्यक मशीनरी सामान तथा मादक द्रव्य देना सक्त मना है, यदि छात्रों के पास ये सामान मिलते हैं तो 5000/- आर्थिक दण्ड एवं तीन से अधिक बार इसी प्रकार पकड़े जाने पर अभिभावक को सूचित कर आर्थिक दण्ड के साथ छात्र को निष्कासित/बहिष्कृत कर दिया जायेगा।

3.अभिभावकों का आचार्यों के प्रति किया गया अभद्र व अशिष्ट आचरण अनुशासनहीनता माना जाएगा एवं छात्र को बहिष्कृत करने का कारण बनेगा ।

4.आलस्य, प्रमाद करना, असत्य बोलना, चोरी करना, लड़ाई-झगड़ा, फिल्म व दूरदर्शन सम्बन्धीत अश्लील बात करना, रोगी होने का बहाना बनाना, गुरु निन्दा, गुरुकुल सम्पत्ति को हानि पहुँचाना, निषिद्ध वस्तुओं को रखना, रात को इधर-उधर घुमना, ऐसी हरकत करने वाले छात्र को बहिष्कृत किया जाएगा।

अवकाश सम्बन्धी नियम

1.छात्र को अवकाश पर माता-पिता के साथ अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिनका चित्र छात्र अभिभावक विवरण में लगा है, उन्हीं के साथ भेजा जायेगा ।

2.सत्र के बीच में विवाह आदि पारिवारिक कार्यों में अवकाश का प्रावधान नहीं है, अत्यन्त आवश्यक स्थिति में प्राचार्य जी एवं प्रधानाध्यापक व सह प्रधानाध्यापक के निर्णयानुसार ही अवकाश पर विचार किया जा सकता है। सत्र के बीच में किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी अथवा अभिभावक अवकाश हेतु आग्रह न करें।

3. भोजन शुल्क/अन्यखर्च शुल्क पूर्ण जमा होने की स्थिति में ही छात्र को अवकाश दिया जाएगा ।

4. अवकाश समाप्ति के उपरान्त गुरुकुल में विद्यार्थी के समय पर उपस्थित न होने पर निर्धारित विलम्ब शुल्क 500 रूपये प्रतिदिन देय होगा।

5. वर्ष में एक बार पर्व से सम्बन्धीत 7 दिन का तथा ग्रीष्म अवकाश से सम्बन्धीत 15 दिन का अवकाश गुरुकुलीय व्यवस्था को ध्यान में रखकर दिया जायेगा, इसके लिए कोई निश्चित दिन या दिनांक लिखा नहीं जा सकता। इन दिनों के अतिरिक्त और अन्य दिनों में अवकाश मांगकर गुरुकुलीय व्यवस्था में बाधक न बनें एवं स्वयं शर्मिन्दा न होवें।

अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्रों से मिलने व दूरभाष सम्बन्धी नियम

1. छात्रों से मिलने वे ही अभिभावक आ सकेंगे जिनका विवरण चित्र सहित कार्यालय में लिखित होगा। अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य को छात्र से मिलने अथवा अवकाश पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अपरिहार्य परिस्थिति में इनके अतिरिक्त किसी व्यक्ति के विषय में माता-पिता के आवेदन के आधार पर विचार किया जा सकता है।
2. छात्र से मिलने के लिए आने से पहले दूरभाष से सामानों की सूची न पूछें, इससे व्यवस्था पर अतिरिक्त भार पड़ता है, प्रवेश काल में दिये गये सामानों की सूची का प्रयोग कर सामान ला सकते हैं।
3. कोई भी अभिभावक गुरुकुल के अधिकारियों की अनुमति बिना छात्रों से नहीं मिल सकते।
4. अभिभावक गुरुकुल के प्रबन्धकों के आज्ञा के बिना रुपया एवं भोग्य पदार्थ छात्र को नहीं दे सकेंगे, भोग्य पदार्थ देना हो तो पतंजलि के सामान दे सकते हैं (वो भी आज्ञानुसार)।
5. अभिभावकों को छात्रावास जाना निषेध है, कार्यालय या यज्ञशाला में बैठकर छात्रों से बातचीत करेंगे । अन्य छात्र के साथ अन्य अभिभावक को मिलकर संवाद करना सर्वथा वर्जित है । इस नियम के अवमानना होने पर यथायोग्य दण्ड स्वीकार करना होगा।
6. अभिभावक बार-बार छात्रों से नहीं मिल सकते, प्रत्येक दूसरे महीने के दूसरे रविवार को प्रातः 9 से 11.30 बजे तक छात्रों से मिल सकते हैं। निर्धारित समय से पूर्व आने पर छात्र का मन विचलित रहता है एवं गुरुकुलीय व्यवस्थाएँ बाधित होती हैं। इस नियम के उल्लंघन होने पर निर्धारित दण्ड स्वीकार करना होगा।
7. माता-पिता एवं परिवार वर्ग के साथ अध्ययन काल में छात्रों के साथ फोन (मोबाईल) सम्पर्क सर्वथा वर्जित है, आवश्यक होने पर अधिकारियों के मोबाईल में सूचना दे सकते हैं ।

उपर्युक्त सभी नियमों के लिए प्रत्येक अभिभावक को पचास रूपये वाला स्टाम्प पेपर में अभिभावक शपथ पत्र गुरुकुल में देना होगा।

घोषणा:- उपर्युक्त सभी नियमों को मैं ठीक से पढ़ा हूँ, समझा हूँ और गुरुकुलीय व्यवस्था में सहयोगी बनकर इन नियमों को अक्षरशः पालन करुंगा और अभिभावक शपथ पत्र गुरुकुल में जमा करुंगा । अतः मेरे पुत्र को गुरुकुल में प्रवेश हेतु अनुमति दी जाये ।

गुरुकुल प्रवेश काल में लाने योग्य सामान

बिस्तर- 3X6 चटाई एक, चादर (ओढ़ने व बिछाने हेतु), दरी, मच्छरदानी, 2x2 आसन 1।

भोजन पात्र- थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी, थरमस अथवा पानी बॉटल।

पठनीय सामग्री- संचीका, लेखनी (काले, नीले, लाल),पेंसील, स्केचपेन, परीक्षा बोर्ड, कम्पास (जैमिट्री बॉक्स),स्कूल बैग।

अन्य वस्तु- टावेल-2, ब्रश-जीभी, टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सर्फ, तेल (नारियल अथवा आँवला), सरसों तेल, बाल्टी-मग, ताला-चाबी, नेलकटर, पुस्तक-कॉपी हेतु कव्हर (जिल्द), बैग (सामान रखने हेतु मध्यम साइज), छाता एक, टार्च (बैटरी वाली), ठण्ड के दिनों में कम्बल।

खाद्य सामग्री- शास्त्र अनुसार **आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः** अर्थात् आहार शुद्धि से बुद्धि सात्विक होती है, बुद्धि सात्विक होने से सात्विक चिन्तन तथा आचरण बनता है। इसलिए अभिभावक जब छात्र से मिलने आएँ तो सात्विक खाद्य पदार्थ (पतञ्जलि का) ही लेकर आएं व कार्यालय में जमा कर दें। ब्रह्मचारियों को सीधा कोई सामान न दें।

अभिभावक के हस्ताक्षर

प्रवेशकाल में जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

1. छात्र की उत्तीर्ण कक्षा की अंकपत्र की छायाप्रति एवं टी.सी. की मूल प्रति (काउण्टर साइन सहित), जातिप्रमाण पत्र (Caste Certificate), निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate), जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), छात्र का शारीरिक उपयुक्तता प्रमाणपत्र (Fitnes Certificate), आधार कार्ड की छायाप्रति, चार पासपोर्ट साइज की फोटो। माता-पिता व छात्र के नाम एवं जन्म तिथि आधार कार्ड एवं टी.सी. पर एक जैसा हो।

2. माता – पिता के अतिरिक्त छात्र से मिलने आने वाले किन्हीं दो व्यक्ति का पासपोर्ट फोटो चार-चार, आधार कार्ड व चुनाव पहचान पत्र की छायाप्रति। ध्यान रहे यहां जिसकी फोटो होगी, वे ही छात्र से मिल पायेंगे।

सभी प्रमाण पत्र सन्तोष जनक होने पर ही छात्र का प्रवेश सुनिश्चित होगा। सहयोग के लिए धन्यवाद ।

विशेष.-किसी भी विवाद के प्रतिवाद हेतु न्यायक्षेत्र केवल नुआपड़ा ही होगा ।

दिनाङ्क- ....

साक्षी के हस्ताक्षर | अभिभावक के हस्ताक्षर | विद्यार्थी

आचार्य | उपाचार्य | प्रधानाध्यापक

सह प्रधानाध्यापक | कार्यालय प्रभारी

अभिभावक शपथ पत्र

मैं श्री.., आयु..............................वर्ष, ग्राम..पो......................., था........................., जि.............................., पिन.................... ओड़िशा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा आधार नम्बर .... है । गुरुकुल हरिपुर द्वारा प्रदत्त छात्र प्रवेश नियमावली 2025-26 के सभी नियमों को मैं स्वस्थ मन से अच्छी तरह पढ़ा हूँ, समझा हूँ, उन नियमों को मानकर मैं अपने पुत्र .... को गुरुकुल हरिपुर, जुनानी,पो. गोड़फूला, जि. नुआपड़ा में कक्षा .... में प्रवेश करा रहा हूँ।

गुरुकुलीय व्यवस्था में सहयोगी बनकर नियमावली में वर्णित सभी नियमों को अक्षरशः पालन करुंगा, समय अनुसार धर्म और न्याय पूर्वक गुरुकुलीय नियमों में जो परिवर्तन और संशोधन होगा उन नियमों को भी मैं सहर्ष पालन करुंगा। गुरुकुल के विरोध में कभी भी किसी भी प्रकार की राजनीति या उपद्रव नहीं करुंगा।

छात्र के हस्ताक्षर

अभिभावक के हस्ताक्षर

साक्षी

1.
2.
3.

गुरुकुलीय शिक्षा अपनायें-उज्ज्वल भविष्य बनायें

ओड़िशा के नुआपड़ा जिला के जुनानी गांव में स्थित गुरुकुल हरिपुर शिक्षा, संस्कार और आध्यात्मिक उन्नति को समर्पित एक प्रतिष्ठित संस्था है । यह गुरुकुल अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण और नैतिक मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। यहां छात्रों को न केवल पारंपरिक शिक्षा प्रदान की जाती है, बल्कि उन्हें संस्कारों से भी समृद्ध किया जाता है, जिससे वे समाज के आदर्श नागरिक बन सकें।

गुरुकुल का भव्य परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इसमें उत्तम छात्रावास की व्यवस्था है, जहां विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण के साथ-साथ मूत्रालय, शौचालय, सी.सी. टी.वी. व ध्वनियन्त्र सभी ब्रह्मचारियों के लिए अलग-अलग खाट आदि सुनिश्चित किया गया है। विद्यालय भवन कृष्णपट्ट छठवीं से लेकर शास्त्री तक सबके लिए अलग-अलग सुसज्जित सी.सी टी.वी. कक्षों से युक्त है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। विशाल व स्वच्छ भोजनालय में पौष्टिक एवं सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई है, जो विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है।

इसके अतिरिक्त, गुरुकुल में एक विशाल खेल प्रांगण है, जहां विभिन्न खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों के शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए एक विशाल उपासना स्थल एवं यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, नियमित रूप से यज्ञ और सत्संग का आयोजन होता है। गुरुकुल में एक उत्तम राष्ट्रभृद् गौशाला भी है, जहां स्वस्थ एवं उत्तम दुधारू गायों का पालन-पोषण किया जाता है। यहां से प्राप्त शुद्ध दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों से विद्यार्थियों एवं आचार्यों के पोषण का ध्यान रखा जाता है। गुरुकुल में एक विशाल सभा भवन है, जहाँ पर छोटे-बड़े सभी कार्यक्रम एवं साप्ताहिक वाग्वर्धिनी सभा होती है ।

गुरुकुल में विद्या, विचार और संस्कारों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यहां छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, आवास व अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थी भी उच्च गुणवता की शिक्षा ग्रहण कर सकें। गुरुकुल के संचालकों का उद्देश्य केवल औपचारिक शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को नैतिकता, आध्यात्मिक और जीवन मूल्यों से सुसज्जित करना है।

वर्तमान में इस गुरुकुल का संचालन आर्यजगत् के प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान् आचार्य डॉ. सुदर्शनदेव जी, दिलीप कुमार जिज्ञासु जी, आचार्य राजेन्द्र वर्णी जी आदि कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा और नेतृत्व में गुरुकुल निरंतर प्रगति कर रहा है तथा सैकड़ों विद्यार्थियों को संस्कारी जीवन की ओर अग्रसर कर रहा है।

गुरुकुल की यह अनूठी व्यवस्था इसे अन्य शिक्षण संस्थानों से अलग बनाती है। यहां न केवल विद्यार्थियों को शास्त्रों और आधुनिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है बल्कि वे एक अनुशासित, आत्मनिर्भर और संस्कारित जीवन जीने की कला भी सीखते हैं। यह गुरुकुल भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन का एक अनुपम केंद्र है, जहां से निकलने वाले विद्यार्थी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं।

गुरुकुलीय शिक्षा राष्ट्रनिर्माण और समाज की आधारशिला :-

गुरुकुलीय शिक्षा केवल एक शिक्षा प्रणाली नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज और व्यक्तित्व विकास की नींव है। यह शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होती, अपितु जीवन के प्रत्येक पहलू को संवारने का कार्य करती है। संस्कार, नैतिकता, अनुशासन, मानवता और राष्ट्रप्रेम जैसी मूलभूत भावनाएँ इसी शिक्षा प्रणाली से पुष्ट होती हैं।

आज के युग में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और बड़े-बड़े व्यवसायी बनने की होड़ लगी हुई है। लेकिन यदि इन आज के प्रतिष्ठित लोगों में नैतिकता, संवेदनशीलता और मानवता का अभाव हो, तो उनका ज्ञान समाज के लिए वरदान नहीं, बल्कि अभिशाप बन सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का सच्चा निर्माण तभी संभव है जब उसके भीतर नैतिक मूल्यों और मानवीय गुणों का समावेश हो। यही कार्य गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली करती है।

गुरुकुलीय शिक्षा का महत्व :-

गुरुकुलीय शिक्षा केवल पाठ्यक्रम आधारित अध्ययन नहीं कराती, बल्कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, अनुशासित और नैतिकता से परिपूर्ण बनाती है। यह शिक्षा मन, वचन, और कर्म की शुद्धता पर बल देती है, जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को आत्मसंयम, सेवाभाव, ध्यान, योग और वैदिक परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। यही नहीं, यह शिक्षा समाज को सशक्त नागरिक, ईमानदार नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रभक्त प्रदान करती है।

गुरुकुलीय शिक्षा के उद्देश्य :-

संस्कारवान् एवं नैतिक नागरिक निर्माण- शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविका अर्जन करना नहीं, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करना भी है ।

वेदों एवं शास्त्रों का ज्ञान- वेद, उपनिषद्, महाभारत, रामायण, विदुर नीति, चाणक्य नीति, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों का अध्ययन कराकर बच्चों को उच्च आदर्शों से जोड़ना ।

स्वस्थ एवं सशक्त नेतृत्व तैयार करना- समाज को विचारवान्, त्यागी, तपस्वी और कर्मशील नागरिक एवं नेतृत्वकर्ता प्रदान करना।

भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का संरक्षण- प्राचीन ज्ञान-विज्ञान एवं भारतीय संस्कृति को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित करना ।

शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति- योग, ध्यान, प्राणायाम और संयम के अभ्यास से पूर्ण जीवन शैली को अपनाना ।

गुरुकुलीय शिक्षा से राष्ट्रोत्थान :-

यदि हम अपने बच्चों को संस्कारवान्, चरित्रवान् और नैतिकता से संपन्न बनाना चाहते हैं, तो हमें उन्हें गुरुकुलीय शिक्षा से जोड़ना होगा । एक राष्ट्र की प्रगति केवल विज्ञान और तकनीक से नहीं, बल्कि संस्कारों और सद्गुणों से भी होती है । यदि हमारा उद्देश्य एक स्वस्थ, समृद्ध, और सशक्त भारत का निर्माण है, तो हमें वैदिक शिक्षा प्रणाली को अपनाना ही होगा ।

वैदिक गुरुकुल, गुरुकुल हरिपुर इसी संकल्प के साथ कार्यरत है। यह गुरुकुल राष्ट्र को योग्य, संस्कारित, और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक देने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आप अपने बच्चों को सच्चे ज्ञान, संस्कार और मानवीय गुणों से समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो गुरुकुलीय शिक्षा ही सर्वोत्तम विकल्प है ।

गुरुकुलीय शिक्षा अपनाएँ, उज्ज्वल भविष्य बनाएँ ।।

गुरुकुल के विभिन्न कार्यक्रमों के चित्र